न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 23/2019

बउनवानः–

समरजीत पुत्र रंगलाल जाति सहर निवासी ग्राम मऊ तहसील तहसील मांगरोल

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते दुरूस्त करने नाम प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 01.10.2019 निर्णय दिनांक : 06.10.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का नाम समरजीत पुत्र रंगलाल है, प्रार्थी के सभी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि इसी नाम से बने हुए है। प्रार्थी के नाम के दस्तावेज प्रमाण कमशः 1. चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन पत्र मि0 नं0 807 दिनांक 18.03.1989, 2. शपथ पत्र दिनांक 18/03/1989, 3. प्रारूप 8 आवंटन आदेश दि0 18.03.1989, 4. आराजी दखलनामा दिनांक 17.09.1989, 5. आवंटन आदेश की पालना में जमा राशि रसीद कमांक 00014 दिनांक 18.03.1989 आदि। सहवन से त्रुटिवश हाल जमाबंदी ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां में दर्ज आराजी खसरा नं0 145/1543 रकबा 0.80 है0 में खातेदार के रूप में प्रार्थी का नाम समरजीत के स्थान पर अमरजीत लिखने में आ गया है जिससे प्रार्थी को कोई सरकारी सुविधाये नही मिल पा रही है। अतः निवेदन है कि ग्राम मऊ की आराजी खसरा नं0 145/1543 रकबा 0.80 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज खातेदार का नाम अमरजीत पुत्र रंगलाल सहर के स्थान पर समरजीत पुत्र रंगलाल जाति सहर निवासी मऊ तहसील मांगरोल किए जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:46 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण [illegible] स्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है [illegible] रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2020/72 दिनांक 23.0[illegible].2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम मऊ के नामान्तरण संख्या 184 से [illegible] वल्द रंगलाल सहरिया के

खसरा नं0 145 रकबा 5.38 है0 में से 0.80 है0 रकबा गैर खातेदारी में दर्ज हुआ था। नामा सं0 145 का अमल जमाबंदी सम्वत 2059–62 में हुआ था जिसमें सहवन से खातेदार का नाम अमरजीत पुत्र रंगलाल जाति सहरियां दर्ज कर दिया गया था जो कि सही नाम नही है प्रार्थी का वास्तविक नाम समरजीत पुत्र रंगलाल सहरिया है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली तलब की जाकर निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण में आज दिनांक 06.10.2020 को पत्रावली तलब की गयी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन पत्र मि0 नं0 807 दिनांक 18.03.1989, शपथ पत्र दिनांक 18/03/1989, प्रारूप 8 आवंटन आदेश दि0 18.03.1989, आराजी दखलनामा दिनांक 17.09.1989, आवंटन आदेश की पालना में जमा राशि रसीद कमांक 00014 दिनांक 18.03.1989 आदि का अवलोकन किया। उक्त समस्त दस्तावेजो से प्रार्थी का नाम समरजीत पुत्र रंगलाल सहरिया होने की पुष्टि होती है। अतः तहसीलदार मांगरोल की अनुशंषा एवं संलग्न दस्तांवेजात व दिनांक 06.10.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी खसरा नं0 145/1543 रकबा 0.80 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज **अमरजीत पुत्र रंगलाल हजफ किया जाकर समरजीत पुत्र रंगलाल जाति सहरिया** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:46 IST
Reason: SelfAttested